



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

// ऑफर आमंत्रण //

कं./ 3053 / परि.शा. / 2025 /

भिलाई, दिनांक 01/09/2025

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) साइज 3' X 6' स्ट्रीट लाईट पोल पर लगाया जाना है। जिस हेतु निम्नलिखित नियम शर्तों के अनुसार ऑफर आमंत्रित किया जाता है -

नियम एवं शर्त :-

1. स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) की साइज 3' X 6' जिसे स्ट्रीट लाईट पोल पर लगाया जाना है।
2. निविदाकार को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" में निविदा शुल्क राशि रु. 1,000.00 मात्र निर्धारित Demand Draft आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से, अमानत राशि के रूप में राशि रु. 25,000.00 मात्र का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रस्तुत करना होगा, निविदाकार को नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, ब्लैक लिस्ट नही होने का शपथ पत्र, निविदाकार का पहचान पत्र (आधार कार्ड) वर्तमान निवास पता संबंधित दस्तावेज पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र एवं लिफाफा "ब" में वित्तीय बीड (दर) तथा लिफाफा "स" में लिफाफा "अ" व "ब" को भरकर लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कार्य का नाम एवं आवेदक का नाम एवं पता लिखकर मुख्य कार्यालय परियोजना शाखा में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 15.09.2025 को सायं 05:30 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत लिफाफा दिनांक 16.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
3. निविदाकार को सूची के सरल क्रमांक 01 से 13 (Category A) या सरल क्रमांक 14 से 26 (Category B) अनुसार दर प्रस्तुत करना होगा। एक एजेंसी को किसी एक Category में ही भाग लेने की पात्रता होगी। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में Category का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निगम के बकाया राशि से संबंधित किसी भी बकायादार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नही दी जावेगी। निगम के बकायादारों के द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा तथा उसके द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट में से पूर्व बकाया राशि काटकर वापस कर दी जावेगी।
5. सफल निविदाकार को स्वीकृत राशि का 5% राशि का निविदाकार एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से बैंक गारंटी अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) सुरक्षित स्थान पर लगाना होगा।

7. आंधी तूफान या अन्य किसी कारण से ध्वस्त होने पर जनधन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नुकसान की भरपाई स्वयं वहन करना होगा।
8. स्थापित करने के उपरान्त समस्त आवश्यक संधारण का कार्य स्वयं के व्यय से करना होगा।
9. स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) विज्ञापन प्रदर्शन अधिकतम 03 वर्षों के लिए अनुबंधित किया जावेगा।
10. 01 वर्ष पश्चात् शुल्क का निर्धारण स्वीकृत दर में 10-10 प्रतिशत वृद्धि कर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जावेगा तथा नवीनीकरण की सम्पूर्ण राशि अग्रिम जमा करना होगा।
11. विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क निविदा के अनुसार प्रति नग प्रति वर्ष की दर से कार्यादेश जारी माह से 06-06 माह में जमा करना होगा। नियत तिथि के भीतर राशि जमा न करने पर 15 प्रतिशत मासिक अधिभार के साथ जमा कराया जाना होगा। (दर 2175/- रुपये प्रति नग) इससे कम की निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
12. निगम द्वारा निर्धारित स्थान (सूची संलग्न) पर ही स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) लगाना होगा।
13. अनुबंध के पूर्व यातायात विभाग, लोककर्म विभाग, विद्युत विभाग एवं अन्य विभाग से अनुमति लेने की स्थिति में एजेंसी स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
14. निगम द्वारा विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने तथा प्रचार प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं करेगा।
15. लायसेंसी द्वारा स्थापित विज्ञापन बोर्ड में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा। लगाये जाने वाले स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) में राष्ट्रीयता, सामाजिक, समरसत्ता, छत्तीसगढ़ राज्य की गरिमा, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म एवं अन्य को जानबुझकर विद्वेश (प्रेरित करते हो) के संकेत को चिन्हित करते हो का उपयोग नहीं करेगा।
16. स्थापित स्ट्रीट लाईट लाली पॉप (किओस) किन्ही कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में लायसेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा।
18. निविदाकार को निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक दर पर ही निविदा भरना होगा। किसी भी निविदा में निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम राशि प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त अधिकतम दर स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
20. यह कि निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियम) उपविधि, 2010 में विहित प्रावधानों का तथा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों का पालन करना होगा।



21. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा । उपरोक्त शर्तों में से एक या अनेक उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त की जा सकेगी एवं अमानत राशि राजसात करते हुए इस पर होने वाले समस्त व्यय की जिम्मेदारी लायसेंसी की होगी।

क	Category	लोकेशन	पोल की संख्या
1	Category A	वार्ड क्रमांक 01 जुनवानी चौक से सूर्या मॉल तक	18
2		वार्ड क्रमांक 02 केपीएस चौक से सूर्या मॉल तक	54
3		वार्ड क्रमांक 03 माडल टाउन से परिया पारा नाला तक	11
4		वार्ड क्रमांक 11 अवंती बाई चौक से ईदगाह चौक तक	30
5		वार्ड क्रमांक 12 ईदगाह चौक से जुनवानी नाला तक	44
6		वार्ड क्रमांक 18 मोर्या टॉकीज से परदेशी चौक तक	28
7		सुपेला चौक दक्षिण से रेलवे कासिंग एवं आकाश गंगा व्यवसायिक क्षेत्र	10
8		ओव्हर ब्रिज टाटा मोर्टस से साक्षरता चौक तक दोनों तरफ से	146
9		ओव्हर ब्रिज नेहरु नगर दोनों तरफ से	73
10		वाई शेप ब्रिज बीएसपी 32 बंगला के तरफ से वाई शेप तक	57
11		वार्ड क्रमांक 25 कालीबाडी चौक से खालसा चौक तक	12
12		बिजली ऑफिस से इंदिरागांधी कॉलेज तक	40
13		हेमु कम्याणी चौक से इंदिरागांधी कॉलेज तक	15
		Total Category A	538
14	Category B	पुट्टुरामलु चौक से तीन दर्शन मंदिर तक डिवाइडर के बीच में	52
15		एसीसी से छावनी चौक तक	33
16		ओम शांति चौक से छावनी तक	34
17		खालसा चौक से नंदिनी रोड तक	27
18		छावनी चौक से पोटरामलु चौक गौरव	40
19		गौरव पथ पोटरामलु चौक से 18 नंबर रोड तीनदर्शन मंदिर तक	50
20		छावनी चौक से नंदनी रोड में अंबेडकर चौक पावर हाउस तक	34
21		पावर हाउस के उपत रायपुर से दुर्ग की ओर बड़ा ओव्हर ब्रिज न्यू बसंत टॉकीज से अंबेडकर मूर्ति तक	50
22		जोन क्रमांक 03 ऑफिस से न्यू बसंत टाकीज	23
23		शिवालय से कन्या पिघालय तक एमपीआर रोड	72
24		श्री राम चौक से बोल बम चौक तक	15
25		केनाल रोड जीरो प्वाइंट से देना बैंक तक	99
26		जीई रोड न्यू खुर्सीपार से आईटीआई तक	36
		Total Category B	565
		Grand Total Category A + Category B	1103

कार्यालय नगर पालिक निगम मिलाई

—:: निविदा प्रपत्र :—

// वित्तीय बीड //

विषय:— स्ट्रीट लाईट ट्यूबलर पोल में विज्ञापन बोर्ड लाली पॉप (किओस साइज 3' X 6') लगाने का कार्य।

Item	Category	प्रस्तुत दर (प्रति नग)	
		अंको में	अक्षरों में
स्ट्रीट लाईट ट्यूबलर पोल में विज्ञापन बोर्ड लाली पॉप (किओस साइज 3' X 6') लगाने का कार्य।			

निविदाकार का सील/हस्ताक्षर

